स.19011/29/2023-केहिप्रस/अल्प. ग. प्रशि./ 4167-4867

दूरभाष: 011-23793521
फैक्स: 011-23793521

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक: 07.12.2022.

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/स्वायत्तशासी एवं सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा से संबद्ध सभी अधिकारी

विषय:- वर्ष-2023 के दौरान भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी माध्यम द्वारा पाँच पूर्ण कार्य-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षकों (Trainers) के द्वारा अपने संस्थानों में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, इसी उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब तक इस संस्थान द्वारा 45 (पैंतालीस) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं । विभिन्न कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों में अभी भी अधिक संख्या में ऐसे संकाय सदस्य (Faculty Members) हैं, जिन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण दिया जाना शेष है । दिनांक 17.05.2020 के आदेश सं. 40-3 (2020) डी. एम -1 (ए) के तहत गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष-2023 के दौरान उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन का निर्णय लिया गया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि अपने संस्थानों/ कार्यालयों के प्रशिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने का कष्ट करें।

प्रशिक्षण का संक्षिप्त विवरण :

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	नामित अधिकारी की पात्रता	भारत सरकार के प्रशि.संस्थान/ कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है
1.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देना तथा हिंदी भाषा में उनकी अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त बनाना ।	19.06.2023 से 23.06.2023 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऐसे संकाय सदस्य [Faculty Members], जो अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं; परंतु जिन्हें हिंदी भाषा के माध्यम से प्रशिक्षण देने में कठिनाई हो रही हो ।	भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान, मंत्रालय, विभाग, सरकारी उपक्रम, बैंक, निगम, सांविधिक निकाय, लोक उद्यम, संगठन आदि ।

नामांकन की प्रक्रिया एवं प्रपत्र :

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों से संबंधित विवरण अनुलग्नक -I में दिए गए प्रपत्र में भरकर यथासमय इस कार्यालय को ई-मेल या डाक द्वारा भिजवाएं, ताकि पत्राचार एवं प्रशिक्षण के संचालन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो ।
- नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथासमय नामांकन की पुष्टि अलग से ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी ।
- कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है ।

विशेष टिप्पणी:

- सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/निगमों/उद्यमों/बैंकों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं को परिचालित करवाने की व्यवस्था करवाएं।
- इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार जो यात्रा/दैनिक भत्ता देय होगा, संबंधित कार्यालय/संगठन के द्वारा उसका वहन किया जाएगा, न कि इस संस्थान द्वारा।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना असंभव हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण की समाप्ति पर नामित प्रशिक्षार्थियों को कार्यमुक्त करते हुए इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण-पत्र वितरित किया जाएगा।

प्रशिक्षण से संबंधित अन्य किसी भी अपेक्षित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक-II देखें, जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से संबद्ध संपर्क-सूत्र का विवरण दिया गया है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रभारी निदेशक

पृष्ठांकन सं.- 19011/29/2023-केहिप्रसं/अल्प. ग. प्रशि./ 4167 - 4867 दिनांक: 07.12.2022.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. संयुक्त निदेशक (मध्योत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
4. संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
5. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना।
6. सभी उप निदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
8. उप निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
9. सहायक निदेशक (भाषा), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
10. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग के पोर्टल/ वेबसाइट पर इस पत्र को उपलब्ध कराने के निदेश के साथ।
11. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
12. उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद एवं बेंगलूरु।

भवदीय,
ह./-
(अनिल कुमार)
प्रभारी निदेशक

अनुलग्नक –I

प्रशिक्षण संबंधी प्रपत्र

अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान तैनाती स्थल	शैक्षिक/ तकनीकी योग्यता	हिंदी का ज्ञान	मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर : ....

नाम एवं पदनाम : ....

कार्यालय का संपूर्ण पता : ....

....

....

दूरभाष सं. : ....

फ़ैक्स सं. : ....

ई-मेल आई डी : ....

अनुलग्नक – II

प्रशिक्षण संबंधी संपर्क-सूत्र

1.	2.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी. जी. ओ. परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 दूरभाष: - 011- 24361852 फ़ैक्स:- 011- 24361852 ई-मेल: dirchti-dol@nic.in	उप निदेशक, अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली- 110011 दूरभाष: - 011- 23793521 फ़ैक्स:- 011- 23793521 ई-मेल: DD-WS-chti-dol@gov.in